

क्रमांक:-F7(4)Acad/CCE/Online/Induction/2023-00923

दिनांक: अगस्त, 2024

प्राचार्य,  
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:-ऑनलाईन इंडक्शन/ओरियन्टेशन में भाग लेने की अनुमति बाबत  
संदर्भ:-विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यू.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन इंडक्शन/ओरियन्टेशन कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र. स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1	दिनेश कुमार, सहा. आचार्य	प्राणीशास्त्र	राजकीय महाविद्यालय, बीदासर	इंडक्शन/ओरियन्टेशन	10.09.2024 से 09.10.2024	UGC-MMTTC Aligarh Muslim University, Aligarh
2	अंकित सैनी, सहा. आचार्य	EAFM	SNKP राज. महा. नीमकाथाना	इंडक्शन/ओरियन्टेशन	10.09.2024 से 09.10.2024	UGC-MMTTC Aligarh Muslim University, Aligarh
3	मनमोहन सैनी, सहा. आचार्य	EAFM	SNKP राज. महा. नीमकाथाना	इंडक्शन/ओरियन्टेशन	10.09.2024 से 09.10.2024	UGC-MMTTC Aligarh Muslim University, Aligarh
4	पूजा वर्ष्णय, सहा. आचार्य	समाजशास्त्र	राज. महा. रावतभाटा, चित्तौड़गढ़	इंडक्शन/ओरियन्टेशन	10.09.2024 से 09.10.2024	UGC-MMTTC Aligarh Muslim University, Aligarh
5	अमर सिंह मीना, सहा. आचार्य,	हिन्दी	राज. महा. रावतभाटा, चित्तौड़गढ़	इंडक्शन/ओरियन्टेशन	10.09.2024 से 09.10.2024	UGC-MMTTC Aligarh Muslim University, Aligarh

Signature valid



Digitally signed by Vijeendra Kumar Sharma  
Designation : Joint Director  
Date: 2024.09.04 18:32:54 IST  
Reason: Approved

6.	फहीमुद्ददीन, सहा. आचार्य	उर्दू	राज. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड	इंडक्शन/ ओरियन्टेशन	10.09.2024 से 09.10. 2024	UGC-MMTTC Aligarh Muslim University, Aligarh
----	-----------------------------	-------	---	------------------------	---------------------------------	---

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्य को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रतिलिपि:-

- 1.बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।

**Signature valid**

Digitally signed by Vijendra Kumar  
Sharma  
Designation : Joint Director  
Date: 2024.09.04 18:32:54 IST  
Reason: Approved